न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 82/2018 **दायरा दिनांक : 11.04.2018**

उनवान

1– अब्दुल अजीज, आयु 68 साल पुत्र श्री अब्दुल रहमान, जाति मुसलमान, निवासी चन्देरी, जिला अशोक नगर मध्यप्रदेश

2– वली मोहम्मद, आयु 66 साल, पुत्र श्री अब्दुल रहमान, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, जिला बारां

3– अब्दुल बशीर पुत्र श्री अब्दुल रशीद, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :–

3/1– असगर अली आयु 51 साल, पुत्र श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/2– इकरामुद्दीन आयु 49 साल, पुत्र श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/3– खुशीदा आयु 47 साल, पुत्री श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/4– अब्दुल हफीज आयु 38 साल, पुत्र श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/5– मुमताज आयु 35 साल, पुत्री श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/6– सलीम अख्तर आयु 33 साल, पुत्र श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/7– अस्मां आयु 31 साल, पुत्री श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/8– खालिदा आयु 28 साल, पुत्र श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3/9– हलीमा आयु 70 साल, पत्नी श्री अब्दुल बशीर, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– जमिला आयु 68 साल पुत्री श्री अब्दुल रशीद, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– अजीमन आयु 65 साल पुत्री श्री अब्दुल रशीद, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– खैरूनिशां आयु 65 साल पुत्री श्री अब्दुल हमीद, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– रईशा बैगम आयु 63 साल पुत्री श्री अब्दुल हमीद, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

8– सिराज अहमद आयु 67 साल पुत्र श्री शमशुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

9– मोहम्मद हनीफ आयु 63 साल पुत्र श्री शमशुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– इसराज अहमद आयु 60 वर्ष पुत्र श्री साकिर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 12 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– बिस्मल्ला बाई आयु 65 वर्ष पुत्री श्री साकिर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 12, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री असलम भारती अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.07.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 153/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेंट ने प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 59 में खसरा नम्बर 4460 रकबा 1.25 हेक्टर आराजी ग्राम मांगरोल में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम जैतलहेड़ी के खाता संख्या 135 में खसरा नमब्र 413 रकबा 1.42 हेक्टर आराजी दर्ज है । ग्राम जैतलहेडी की आराजी के पुराने खसरा नम्बर 318 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा वादीगण के पिता रमजानी पुत्र करीमुल्ला के खाते में दर्ज थी और ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 2707 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भी वादीगण के पिता के खाते दर्ज थी । वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद फौती इंतकाल द्वारा ग्राम मांगरोल व जैतलहेडी की आराजी वादी व प्रतिवादी के खाते दर्ज की गई । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/5 हिस्सा है अपने हिस्से पर वादीगण बंटवारा कराकर पृथक खाते दर्ज कराना चाहते हैं । मौके पर स्पष्ट विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं । अतः खाता संख्या 59 खसरा नम्बर 4460 रकबा 1.25 हेक्टर में से वादीगण का 1/5 हिस्सा अलग किया जावे तथा खाता संख्या 135 खसरा नम्बर

413 रकबा 1.42 हेक्टर में से वादीगण का 1/5 हिस्सा अलग किया जावे तथा पृथक से खाते दर्ज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की । अपीलांट को जवाबदेही का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया । अपीलांट को सुनवायी, जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया मात्र वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों के आधार पर वाद को निर्णीत किया गया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ और ना ही साक्ष्य प्रस्तुत हुई है । उक्त आराजियात विवादित का पूर्व में पूर्वजों द्वारा बाहमी बंटवारा कर दिया गया और उसी के आधार पर उभयपक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2018 अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित अवसर दिये गये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा